[वी**.** रामसुब्रमणियन और पंकज मिट्ठल**,** जे**.** जे**.]**

जमानत-एक आपराधिक शिकायत यू/एस. एस.406, 407, 415 420 तक, 120 बी आर/डब्ल्यू एस।34 अपीलार्थी सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. दायर किया गया था-शिकायत थी कि फ़ार्मैक्स इंडिया लिमिटेड ने 318 करोड़ रुपये की वैश्विक जमा रसीदें (जी. डी. आर.) जुटाने में अभियुक्तों की सेवाओं का लाभ उठाया; हालाँकि अभियुक्तों ने उक्त राशि जुटाई, लेकिन उन्होंने फ़ार्मैक्स को केवल 2.20 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की-प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अपीलार्थी और अन्य लोगों ने धन-शोधन का अपराध किया था-प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ई. सी. आई. आर.) दर्ज की गई थी-अपीलार्थी को 26.09.2022 पर गिरफ्तार किया गया था-प्रवर्तन निदेशालय ने भी यू/एस. एस. में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।44 और धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 45-26.09.2022 से अपीलार्थी जेल में था-आयोजितः ई. सी. आई. आर. और वर्ष 2022 में अभियोजन की शिकायत दर्ज करना 2013 में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. की अगली कड़ी थी-पिछले नौ वर्षों से विधेय अपराध के लिए एफ़. आई. आर. में कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई-वास्तव में वादी को एफ़. आई. आर. में अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड के आवेदन को खारिज कर दिया गया था-प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत, एक वैध तर्क के लिए जगह देती है कि पी. एम. एल. ए. की धारा 45 की उप-धारा (1) के खंड (2) में पाई गई दूसरी शर्त अपीलार्थी को संतुष्ट करती है-अपीलार्थी को लगातार कैद रखना उचित नहीं है-अपीलार्थी को जमानत पर बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 1198।

2022 के सी. आर. एल. पी. संख्या 9695 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2022 के निर्णय और आदेश से।

एच.

461

462

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

ए.

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, मेसर्स शकील अहमद सैयद, तन्मया मेहता, सैयद अहमद सऊद, ललित वालेचा, दानिश अहमद सैयद, मोहम्मद परवेज डबास, उज़्मी जमील हुसैन, अकीब बेग, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।एस. वी. राजू, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, अशोक पाणिग्रही, सुश्री साइरिका राजू, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

पंकज मिट्ठल, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. पक्षों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू ने सुनवाई की।

सी.

3. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,407,415 से 420,120 बी के तहत कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ साइबराबाद पुलिस में आई. डी. 1 पर एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. एम. श्रीनिवास रेड्डी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो मेसर्स फ़ार्मैक्स इंडिया लिमिटेड 1 नाम की कंपनी के प्रबंध निदेशक थे।शिकायत का सार यह था कि फ़ार्मैक्स ने वैश्विक जमा रसीदें (जी. डी. आर.) जुटाने में अभियुक्तों की सेवाओं का लाभ उठाया, जो 318 करोड़ रुपये के बराबर थी; हालाँकि अभियुक्तों ने उक्त राशि जुटाई, लेकिन उन्होंने फ़ार्मैक्स को केवल 20 करोड़ रुपये के बराबर 40 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि हस्तांतरित की; और बैंक से पूछताछ करने पर, वादी कंपनी को पता चला कि अभियुक्त ने गिरवी रखे गए दस्तावेजों की मदद से जाली हस्ताक्षर करके शेष राशि का दुरुपयोग किया है।

डी.

ई.

4. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के तहत मेडचल, रंगारेड्डी जिले में छठे महानगर मजिस्ट्रेट, साइबराबाद द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार दर्ज की गई थी।

एफ.

5. हालाँकि नौ साल से अधिक समय पहले एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।हालाँकि, फ़ार्मैक्स द्वारा जी. डी. आर. जुटाना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जाँच का विषय बन गया।SEBI ने 14.07.2020 दिनांकित एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

जी.

1 इसके बाद संक्षिप्त में "एस. ई. बी. आई". के लिए "फार्मैक्स" 2 के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

463

संजय रघुनाथ अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशक [पंकज मिट्ठल, जे.] ए.

ए.

भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1992 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 के विभिन्न विनियम।विशेष रूप से, एस. ई. बी. आई. ने श्री अरुण पंचारिया और कुछ अन्य लोगों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं से जुड़े 14 समान जी. डी. आर. मुद्दों के माध्यम से भारतीय निवेशकों को गुमराह करने का दोषी पाया।

बी.

6. उपरोक्त के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने ई. सी. आई. आर. No.HYZO/26/2022 दिनांक 05.05.2022 में एक सूचना रिपोर्ट दायर की, जिसमें छह व्यक्तियों और नौ संस्थाओं धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध को करने के संदिग्ध व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया।

सी.

7. प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, अपीलार्थी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 26.09.2022 पर गिरफ्तार किया गया था।दिनांक 27.09.2022 के एक आदेश द्वारा,

अपीलार्थी को महानगर सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।अदालत ने 06.10.2022 से 11.10.2022 तक छह दिनों की अवधि के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अपीलार्थी की अभिरक्षा भी प्रदान की।

डी.

8. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने चार व्यक्तियों और दो संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की, (i) श्री संजय अग्रवाल, (ii) श्री मोरथला मल्ला रेड्डी, (iii) श्री अरुण पंचारिया, (iv) श्री मुकेश चौरदिया, (v) श्री संजय अग्रवाल द्वारा प्रतिनिधित्व की गई मेसर्स ला रिचेस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और (vi) मेसर्स विंटेज एफजेडई, यू. ए. ई. का प्रतिनिधित्व श्री अरुण पंचारिया ने किया।शिकायत का योग और सार यह था कि फ़ार्मैक्स ने अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों की सेवाओं का लाभ उठाते हुए 318 करोड़ रुपये के बराबर जी. डी. आर. जुटाया; कि विंटेज एफ. जेड. ई., अरुण पंचारिया की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई, ने केवल इन जी. डी. आर. की सदस्यता ली, यू. यू. आर. ए. एम. बैंक से ऋण प्राप्त करने के बाद, दिनांकित आई. डी. 1 के तहत; कि फ़ार्मैक्स ने यू. आर. ए. एम. बैंक के साथ एक गिरवी समझौते को निष्पादित किया, यह वचन देते हुए कि पूरी आय को यू. आर. ए. एम. बैंक द्वारा दिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा जाएगा; कि हालाँकि फ़ार्मैक्स ने जी. डी. आर. जारी किए थे, लेकिन आय को भारत में फ़ार्मैक्स के क्रेडिट में जमा नहीं किया गया था, जैसा कि रखा गया था।

ई.

एफ.

जी.

3 संक्षेप में "पीएमएलए"

एच.

इसके बाद जी. डी. आर. को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया और भारतीय शेयर बाजार में बेच दिया गया; कि जब अपीलकर्ता द्वारा फ़ार्मैक्स को जी. डी. आर. के लिए जाने की सलाह दी गई, तो फ़ार्मैक्स जी. डी. आर. की राशि के लिए पात्र नहीं था; इसलिए, इसमें अपीलकर्ता और उसके स्वामित्व वाली संस्था ने प्रस्ताव के समन्वय में प्रमुख भूमिका निभाई; कि अपीलकर्ता पूरे नाटक में केंद्रीय व्यक्ति था; कि अपीलकर्ता एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट है,

जिसे जी. डी. आर. से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के साथ काम करने का अनुभव था; कि अपीलकर्ता को अरुण पंचारिया द्वारा श्रीनिवास रेड्डी से मिलवाया गया था; और यह कि अपीलकर्ता और अन्य लोगों ने धन-शोधन का अपराध किया था।

बी.

9. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, अपीलकर्ता धोखाधड़ी वाले जी. डी. आर. मुद्दे को लाने के लिए फ़ार्मैक्स और अरुण पंचारिया के लिए संपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार था और अपीलकर्ता ने बोर्ड प्रस्तावों के लिए प्रारूप प्रदान किए और फ़ार्मैक्स के खाते से ई. यू. आर. ए. एम. बैंक के साथ फ़ार्मैक्स की सहायक कंपनी, संयुक्त अरब अमीरात में मेसर्स फ़ार्मैक्स इंटरनेशनल एफ. जेड. ई. को धन हस्तांतरित करने में भी मदद की।

सी.

डी.

10. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत द्वारा यह तर्क दिया गया है:(i) कि अपीलार्थी पिछले नौ वर्षों से अधिक समय से अपने विरुद्ध विधेय अपराध में कोई आरोप-पत्र दायर किए बिना 26.09.2022 से जेल में बंद है; (ii) यहां तक कि श्रीनिवास रेड्डी को भी, जिनके कहने पर वर्ष 2013 में विधेय अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसकी रिमांड के लिए दायर आवेदन को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था; (iii) कि अपीलार्थी पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है और उसने कानून के ढांचे के भीतर केवल पेशेवर सेवाओं की पेशकश की है; और (iv) कि अभियोजन शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी

ई.

एफ.

"अपराध की आय" के कब्जे में है।

11. तथापि, श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (i) द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता सभी लेन-देनों का मुख्य सूत्रधार और प्रमुख दिमाग है। और (ii) पी. एम. एल. ए. की धारा 45 में निर्धारित दोहरी शर्तों को ध्यान में रखते हुए जमानत के लिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

जी.

12. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

13. चूंकि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का मुख्य तर्क पीएमएलए की धारा 45 के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए अभियोजन पक्ष की शिकायत में अपीलार्थी को सौंपी गई विशिष्ट भूमिका को देखना आवश्यक है।

एच.

465

संजय रघुनाथ अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशक [पंकज मिट्ठल, जे.] ए.

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा।अभियोजन शिकायत के पैराग्राफ 8 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"पी**.** एम**.** एल**.** ए**.** की शर्तों **3** में धन की निकासी के अपराध की घोषणा में अर्जित**/**सह**-**अर्जित व्यक्तियों की विशेष भूमिका:

बी.

• श्री संजय अग्रवाल **(**ए**-1)** की भूमिका:**-**

क) संजय अग्रवाल के आश्वासन के आधार पर, मेसर्स फ़ार्मैक्स इंडिया लिमिटेड ने जी. डी. आर. सूचीकरण की योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।इस समय मेसर्स फ़ार्मैक्स इंडिया लिमिटेड यू. एस. डी. <आई. डी. 1 मिलियन जी. डी. आर. के लिए पात्र नहीं था। संजय अग्रवाल और मेसर्स ला रिचेसे ने नितीश बंगेरा के साथ प्रस्ताव का समन्वय करने में मुख्य भूमिका निभाई।संजय अग्रवाल ने लीड अरेंजर (प्रॉस्पेक्ट कैपिटल) और कंपनी के कानूनी सलाहकार (फॉक्स मंडल) सहित सभी प्रतिभागियों को चुना।हालांकि, फॉक्स मंडल ने फ़ार्मैक्स के अधिवक्ता के रूप में काम किया, ईमेल संचार से संकेत मिलता है कि इसकी भूमिका एक उचित परिश्रम रिपोर्ट तैयार करने और लक्ज़मबर्ग एक्सचेंज में दायर किए जाने वाले लिस्टिंग प्रॉस्पेक्टस ("प्रॉस्पेक्टस") तक सीमित थी।

सी.

डी.

ई.

ख) संजय अग्रवाल ने विभिन्न प्रतिभागियों के साथ लगभग सभी संचार के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम किया, और पेशकश से पहले और बाद में मैसर्स फ़ार्मैक्स इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिए।इसके बावजूद अगर वाल केंद्र अल एफ इगुरे थे जिन्होंने फ़ार्मैक्स को निर्देश दिए जिनका विधिवत पालन मोरथला श्रीनिवास रेड्डी ने किया।(ए-1) एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट होने के नाते, उन्हें जी. डी. आर. से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के साथ काम करने का अनुभव था, और अरुण पंचारिया द्वारा फ़ार्मैक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री एम.

श्रीनिवास रेड्डी से उनका परिचय कराया गया था।(ए-1) डिपॉजिटरी, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के समक्ष अरुण पंचारिया की फर्म प्रॉस्पेक्ट कैपिटल का प्रतिनिधित्व करके और अरुण पंचारिया के ईयूआरएएम बैंक के साथ संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण जीडीआर से गुजरने वाली सभी कंपनियों को बैंक खोलने पर जोर दिया।

एफ.

जी.

एच.

उस विशेष बैंक में खाता, (ए-1) जी. डी. आर. की आय को साझा करने के लिए अरुण पंचारिया और कंपनी के प्रवर्तकों के बीच की नाराजगी से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण, ग्राहक सूची को अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में जमा करने से जानबूझकर छिपाकर, पेशकश के समन्वय की प्रमुख भूमिका निभाई और इसलिए इसके अधिग्रहण सहित अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में सीधे शामिल था और इसलिए उसने पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन का अपराध किया है और पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 4 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है।"14. अपीलार्थी की विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम अनुरोध किए गए तथ्यों और आगे दिए गए तर्कों पर वापस लौटें।शुरुआत में, निम्नलिखित तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं हैः

बी.

सी.

(i) कि ई. सी. आई. आर. का पंजीकरण और वर्ष 2022 में अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज करना, बहुत पहले वर्ष 2013 में, एम. श्रीनिवास रेड्डी, प्रबंध निदेशक, फ़ार्मैक्स के कहने पर, और वर्ष 2020 में एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेश की अगली कड़ी थी।

डी.

ई.

(ii) कि पिछले नौ वर्षों से विधेय अपराध के लिए प्राथमिकी में कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है**;**

(iii) कि यहां तक कि पूर्वनिर्धारित अपराध के लिए प्राथमिकी में वास्तविक वादी एम. श्रीनिवास रेड्डी को भी ईसीआईआर के संबंध में एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार करने की मांग की गई थी, लेकिन रिमांड के लिए प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को खारिज कर दिया गया था;

एफ.

((iv) कि अपीलार्थी पेशे से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है और **26.09.2022** से जेल में है**;** और

जी.

(v) कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के पैराग्राफ 8 का प्रासंगिक भाग, जिसे हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निकाला है, एक वैध तर्क के लिए जगह देता है कि पीएमएलए की धारा 45 की उप-धारा (1) के खंड (ii) में पाई गई दूसरी शर्त अपीलार्थी को संतुष्ट करती है।

एच.

467

संजय रघुनाथ अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशक [पंकज मिट्ठल, जे.]

ए.

इसलिए, हमारी राय में, अपीलार्थी का निरंतर कारावास उचित नहीं हो सकता है।

15. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय की इस आशंका कि अपीलार्थी के भागने का खतरा है और जमानत पर रिहा होने पर देश से बाहर जा सकता है, का उचित शर्तों को लागू करके ध्यान रखा जाना चाहिए।16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी को ईसीआईआर No.HYZO/26/2022 दिनांक 05.05.2022 में ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर विस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है जो पीएमएलए, नामपल्ली, हैदराबाद के तहत महानगर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायालय द्वारा लगाए जा सकते हैं।विशेष न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें शामिल होंगीः

बी.

सी.

(i) अपीलार्थी विशेष न्यायालय के समक्ष अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करेगा; और

((ii) जब भी ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत दर्ज की जाती है तो अपीलकर्ता नियमित रूप से विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होता है।

डी.

उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति है।कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.